

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

::अधिसूचना::

शुद्धि-पत्र

अ०सं०- वि०प्रा० (III) स्थानान्तरण-02/2026/

/दिनांक-

विभागीय अधिसूचना संख्या-3737 दिनांक-30.06.2026 से निर्गत अधिसूचना में अंकित तथ्यों को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :-

1. सूची क्रमांक-2 के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित "राजकीय पोलिटेकनिक, पटना-13" के स्थान पर "नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना-13" पढ़ा जाय।
2. सूची क्रमांक-3 के सम्मुख स्तम्भ-2 में अंकित "श्री अनिल सिंह, प्राचार्य" के स्थान पर "श्री अनिल कुमार सिंह, प्राचार्य" एवं सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित "गोपालगंज" के स्थान पर "पूर्वी चम्पारण" पढ़ा जाय।
3. सूची क्रमांक-8 के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित "प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, पटना-7" के स्थान पर "प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, गुलजारबाग, पटना-7" पढ़ा जाय।
4. सूची क्रमांक-9 के सम्मुख स्तम्भ-2 में अंकित "श्री विवेकानन्द पाठक, विभागाध्यक्ष, यांत्रिकी" के स्थान पर "श्री बिबेका नन्द पाठक, विभागाध्यक्ष (यांत्रिक अभियंत्रण)" पढ़ा जाय।
5. सूची क्रमांक-10 के सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित "प्रशासनिक दृष्टिकोण से" के स्थान पर "श्री ऋषिकेश पाण्डेय को प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा के दायित्व से मुक्त किया जाता है (प्रशासनिक दृष्टिकोण से)" पढ़ा जाय।
6. सूची क्रमांक-11 के सम्मुख स्तम्भ-2 में अंकित "श्री बिरबल रजक, व्याख्याता, इलेक्ट्रॉनिक्स" के स्थान पर "श्री बीरबल कुमार रजक, व्याख्याता (इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग)" एवं सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित "प्रशासनिक दृष्टिकोण से" के स्थान पर "श्रीमती रानी बेगम को प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, बाँका के दायित्व से मुक्त किया जाता है (प्रशासनिक दृष्टिकोण से)" पढ़ा जाय।
7. सूची क्रमांक-12 के सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित "श्री अजय कुमार, प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज के दायित्व से मुक्त किया जाता है" के स्थान पर "श्री अजय कुमार, प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज के दायित्व से मुक्त करते हुए उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त की जाती है। श्री कुमार अपने मूल पदस्थापित संस्थान बी०के०पी०आई०, पुपरी, सीतामढ़ी में योगदान समर्पित करेंगे" पढ़ा जाय।
8. सूची क्रमांक-15 के सम्मुख स्तम्भ-2 में अंकित "श्री नितिश कुमार चौधरी, व्याख्याता" के स्थान पर "श्री नितीश कुमार चौधरी, व्याख्याता (विद्युत अभियंत्रण)" पढ़ा जाय।

9. सूची क्रमांक-17 के सम्मुख स्तम्भ-2 में अंकित "श्री अभिजीत कुमार, व्याख्याता" के स्थान पर "श्री अभिजीत कुमार, व्याख्याता (असैनिक अभियंत्रण)" एवं सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित "प्रशासनिक दृष्टिकोण से" के स्थान पर "श्री अभिजीत कुमार को प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, अररिया के दायित्व से मुक्त किया जाता है (प्रशासनिक दृष्टिकोण से)" पढ़ा जाय।
10. सूची क्रमांक-18 के सम्मुख स्तम्भ-2 में अंकित "श्री सत्यदेव राम, व्याख्याता, कम्प्यूटर साईन्स एण्ड इंजीनियरिंग" के स्थान पर "श्री सत्यदेव कुमार राम, व्याख्याता (कम्प्यूटर साईन्स एण्ड इंजीनियरिंग)" पढ़ा जाय।

विभागीय अधिसूचना संख्या-3737 दिनांक-30.06.2026 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(कुमार सिद्धार्थ)
सरकार के संयुक्त सचिव
/दिनांक-

ज्ञापांक:- वि०प्रा० (III) स्थानान्तरण-02/2026/

प्रतिलिपि- प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव
/दिनांक-

ज्ञापांक:- वि०प्रा० (III) स्थानान्तरण-02/2026/

प्रतिलिपि- सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, सभी राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/परियोजना निदेशक, बी०सी०एस०टी० तारामंडल, पटना/सभी संबंधित प्राचार्य एवं प्रभारी प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/व्याख्याता/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- वि०प्रा० (III) स्थानान्तरण-02/2026/ 4000 /दिनांक- 13.07.26

प्रतिलिपि - प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/ आई०टी० मैनेजर (ई-मेल करने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव